



भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)
कार्यालय आयकर आयुक्त
13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एन्वायरमेन्ट, इकोलॉजी एण्ड डवलपमेन्ट,
पो 0 बेग न0-7, हाईफीड कैम्पस, रानीचौरी,
टिहरी गढ़वाल।

विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त देहरादून ने अपने दिनांक 12.06.2007 के आदेश संख्या सी.सं. 19 (53) /कर मुक्ति/ हरिद्वार/2006-07/तक./9687 द्वारा दिनांक 27.11.2006 से दिनांक 31.03.2009 तक की अवधि के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र द्वारा धारा 80 जी के अन्तर्गत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक 01.04.2009 से नवीकृत किया जाता है।

1. आदेश संख्या सी. सं उपरोक्त दिनांक 12.06.2007 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था/न्यास के उद्देश्य, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।
3. आय-व्यय के लेखों की प्रति सम्बन्धित आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त के समक्ष प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाये।
4. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में सोसायटी/ट्रस्ट को जारी किये गये इस कर मुक्ति प्रमाण पत्र को कभी भी इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।



आर.के.शर्मा
(आर.के. शर्मा)
आयकर आयुक्त, देहरादून

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त/वार्ड-2, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त रेन्ज हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

(आबिद अली)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून